Comp./ South-West Dwarka

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्व, जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा, दिल्ली

नीलामी सूचना

Office of Distt. & Sessions Judge (East) Diary No. 1062 01 FEB 2024 KKD Courts, Delhi

जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा, दिल्ली के बी–ब्लाक भूगृह (बी–ब्लाक बेसमेंट पार्किंग) में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी **15.02.2024 को दोपहर 03:00 बजे** बी–ब्लाक भूगृह पार्किंग में जैसा है जहां है के आधार पर की जाएगी। नीलामी की जाने वाली वस्तुएं एवं उनका आरक्षित मूल्य इस प्रकार है:–

कम संख्या	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य नीलामी (प्रति पीस)	कुल राशि
1.	स्टील बेंच	52	400/-	20,800/-
2.	कुर्सी (लोहा)	282	110/-	31,020/-
3.	कुर्सी (लकडी)	132	60/-	7,920/-
4.	टेबल (लोहा)	28	400/-	11,200/-
5.	टेबल (लकड़ी)	41	175/-	7,175/-
6.	कुर्सी (अधिकारी)	16	500/-	8,000/-
7.	सोफा (3 सीट)	14	500/-	7,000/-
8.	सोफा (2 सीट)	9	300/-	2,700/-
9.	सोफा (सिंगल सीट)	2	150/-	300/-
10.	घूमने वाली कुर्सी	34	350/-	11,900/-
11.	हॉट केस	15	60/-	900/-
12.	स्पिलिट ए सी	33	3000/-	99,000/-
13.	फोटो कॉपियर मशीन	12	4,000/-	48,000/-
14.	फ्रिज	7	1,500/-	10,500/-
कुल आरक्षित मूल्य				**2,66,415/-**

Office of the Distt. & Sessions Judge, Dwarka, Courts, New Delhi डायरी सं. 608 05/2/24 Diary No.

उपरोक्त वस्तुओं के अलावा, कुछ लोहे के स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, और लकड़ी के स्क्रैप की भी नीलामी की जाएगी। लोहे के स्क्रैप का आरक्षित मूल्य रु. 37/– प्रति किलो ग्राम, प्लास्टिक के स्क्रैप का आरक्षित मूल्य रु. 20/– प्रति किलो ग्राम और लकड़ी के स्क्रैप का आरक्षित मूल्य रु. 05/– प्रति किलो ग्राम निर्धारित है।

कम संख्या	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य नीलामी (प्रति पीस)	कुल राशि
1.	कूलर	34	नहीं	नहीं
2.	स्टील रैक	5	नहीं	नहीं
3.	अलमारी	79	नहीं	नहीं
4.	अलमारी छोटी	4	नहीं	नहीं
5.	बुक शेल्फ	27	नहीं	नहीं
6.	साइड स्टील रैक	1	नहीं	नहीं
7.	कूलर स्टैंड	10	नहीं	नहीं
8.	लोहे की जाली	10	नहीं	नहीं
9.	लोहे का स्टैंड 2 फीट	5	नहीं	नहीं
10.	घूमने वाली कूर्सी	4	नहीं	नहीं
11.	लकड़ी की अलमारी	1	नहीं	नहीं

12.	पुरानी घड़ी	71	नहीं	नहीं
13.	पुराने नामपटट	252	नहीं	नहीं
14.	पुराने ताले	30	नहीं	नहीं
15.	सम्मान मंडल	02	नहीं	नहीं

वर्तमान लागू कर (applicable tax) उपरोक्त आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त होंगे। निवेदक को रुपये 10,000/– (दस हजार) (लौटाए जाने योग्य) के साथ फोटो परिचय पत्र की एक प्रतिलिपि नीलामी वाले दिन **15.02.2024 (दोपहर एक बजे से पहले)** अनुभाग प्रभारी, देख रेख शाखा, पूर्व में जमा कराने होंगे। **नीलामी कार्य संपन्न होने के पश्चात् कुल नीलामी मूल्य की 25% नकद राशि सफल प्रतिभागी से ले ली जाएगी** तथा सभी नीलामी वाली निष्प्रयोज्य वस्तुएं नियम एवं शर्तों के अनुसार न्यायालय परिसर से हटा ली जानी चाहिये। इच्छुक निवेदक/बोलीदाता निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निरिक्षण किसी भी कार्यदिवस को सायं 02:00 से 04:00 बजे के दौरान कर सकता है। अन्य जानकारी देखरेख अनुभाग से प्राप्त की जा सकते हैं। प्रतिभागी अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानि www.delhidistrtictcourt.nic.in पर भी जा सकते हैं। नीलामी नीचे वर्णित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी और इसकी घोषणा मौके पर ही की जाएगी।

(गौतम मनन)
अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्व)
जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

Computer

नियम और शर्तें

1. जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा, दिल्ली के बी–ब्लाक भूगृह (बी–ब्लाक बेसमेंट पार्किंग) में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी **15.02.2024 को दोपहर 03:00 बजे** बी–ब्लाक भूगृह पार्किंग में जैसा है जहां है के आधार पर की जाएगी।

2. सभी नीलामी की वस्तुओं का आरक्षित मूल्य रु. **2,66,415/– (दो लाख छियासठ हजार चार सौ पन्द्रह)** लागू कर सहित निर्धारित किया गया है।

3. बोली लगाने वाले को बोली के दिन यानि **15.02.2024 को दोपहर 01:00 बजे** से पहले शाखा प्रभारी, देखरेख अनुभाग के पास फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ **10,000/– रुपये (केवल दस हजार) (वापसी योग्य)** नकद जमा करना होगा।

4. सफल बोलीदाता को जीएफआर–2017 के नियम 220(IV) के अनुसार बोली स्वीकार करने पर बोली मूल्य का 25% नकद में जमा करना होगा।

5. कुल नीलामी मूल्य योग्य बोलीदाता द्वारा तीन दिवसों (बैंक अवकाश को छोड़कर) के भीतर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाएगा। असफल होने पर 25% जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

6. सफल आवेदक द्वारा भुगतान जमा होने के तीन दिन के भीतर अदालत परिसर से नीलाम हुई वस्तुएं हटानी पड़ेंगी।

7. सफल बोली दाता कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर से नीलाम हो चुकी वस्तुओं को हटाने के लिए अपने स्वयं के श्रम और परिवाहन की व्यवस्था करेगा और परिवहन का खर्च उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

8. परिषद् का निर्णय बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा तथा बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्द भी की जा सकती है।

9. परिषद् नीलामी की कार्यवाही के समय किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने या हटाने का अधिकारी सुरक्षित रखता है और यह सभी बोलीदाताओं/प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होगा।

608
05/2/24

(गौतम मनन)
अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्वी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्व)
जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

संख्या 297/कड़कड़डूमा न्यायालय/देखरेख अनुभाग/2024 दिनांक 30.1.24

जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. व्यक्तिगत सचिव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्व), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
2. दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी जिला न्यायालय परिसरों की कंप्यूटर शाखा के प्रभारियों को इस अनुरोध के साथ की नीलामी सूचना एवं नियमों और शर्तें अपनी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करें। दक्षिणी-पश्चिमी, द्वारका
3. सभी शाखा प्रभारी, देख–रेख शाखा, जिला केंद्रिय, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिणी–पूर्वी, नई दिल्ली, उत्तरी–पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी–पश्चिमी और आर. ए. सी. सी., दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की संबंधित सूचना–पट्ट पर नीलामी सम्बन्धित सूचना चिपकाएं।
4. प्रभारी, नजारत शाखा, जिला कड़कड़डूमा न्यायालय को अनुरोध के साथ कि मायापुरी स्कैप मार्केट के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर नीलामी नोटिस की प्रतियां चिपकाने के लिये संबंधित प्रोसेस सर्वर को निर्देशित करें।
5. प्रभारी, देख–रेख शाखा, कड़कड़डूमा न्यायालय, नीलामी प्रकिया के लिए आवश्यक व्यवस्था हेतु।

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्वी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर–पूर्व)
जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली